

प्रेषक:

समुद्रत शिक्षा निदेशक
एव सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति)
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

रोपा मे:

सचिव,
फेन्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा फेन्ट्र-2, समुदाय फेन्ट्र, प्रीत विहार,
नई दिल्ली।

पत्रांक: एन0ओ0सी0 / _____ / 2023-24

दिनांक:

२६।०८।२०२३

विषय: गाईडेन्स इण्टरनेशनल स्कूल, निकट कोयला टोल प्लाजा, ग्राम वाजिदपुर तहसील सदर, जिला रामपुर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय.

उपर्युक्त के सम्बन्ध मे सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा (7) अनुभाग के शासनादेश संख्या: 1916 / 15-7-09-01(299) / 2007 दिनांक 14.07.2009 एवं विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-07, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-2144 / 15-7-2020-1(34) / 2020 दिनांक 07 जनवरी, 2021 के अनुपालन मे आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद की अध्यक्षता मे गठित समिति की बैठक दिनांक 25.08.2023 मे तिये गये निर्णय के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त एन0ओ0सी0 / आवेदन संख्या-SNOC2022120711703, गाईडेन्स इण्टरनेशनल स्कूल, निकट कोयला टोल प्लाजा, ग्राम वाजिदपुर तहसील सदर, जिला रामपुर विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने मे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं हैं:-

- 1- विद्यालय की प्रबन्ध समिति मे शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 2- विद्यालय कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चो के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों मे विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 3- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत 25 प्रतिशत निर्धन वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करना अनिवार्य होगा।
- 4- फीस उन्ही मदों मे चार्ज किये जायें जो राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य हो। फीस की दर इतनी होनी चाहिए जो सामान्यतः उस क्षेत्र मे पूर्व मे स्थित ऐसे अन्य विद्यालयों मे चार्ज किया जा रहा है। काशनमनी/भवन शुल्क इत्यादि ऐसे मदों पर शुल्क न चार्ज किया जाये।
- 5- स्कूल सुरक्षा नीति, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 6- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व मे विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 7- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

- 8- कर्मचारियों की रोका शतै बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशारीय उच्चतर माध्यमिक पिदालयों के कर्मचारियों को अनुगम्य रोकानिवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 9- राज्य सरकार द्वारा रामय-रामय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संरक्षा उनका पालन करेगी।
- 10- पिदालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायगा।
- 11- राज्य सरकार एवं रुपी०३००५०, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता रामद्वारा ऐ पूर्व संरक्षा द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 12- उक्त शतै में राज्य सरकार के पूर्णानुमोदन को दिना कोई परियोग/रांशोपन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संरक्षा के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संरक्षा द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घूँक या शिथिलता घरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(मनोज कुमार द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
एवं सदस्य सचिव
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

3032-3

पृ०३० एन०३००३० / 2023-24 दिनांक: उक्तवत्।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र० लखनऊ।
- 2- आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
- 3- जिलाधिकारी, रामपुर।
- 4- जिला पिदालय निरीक्षक, रामपुर।
- ✓ 5- प्रबन्धक/प्रधानाधार्य, गाईडेन्स इंटरनेशनल स्कूल, निकट कोयला टोल प्लाजा, ग्राम वाजिदपुर तहसील राटर, जिला रामपुर।

(मनोज कुमार द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
एवं सदस्य सचिव
द्विदश मण्डल, मुरादाबाद।